

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

निष्पादक समिति की 18वीं बैठक

कार्यवाही-विवरण

दिनांक-29 फरवरी 2016



डॉ० एस.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017, दूरभाष: 0141-5192255



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
दूरभाष: 0141-2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com



क्रमांक: रा.मा.शि.प./जय/EC-18/2015-16/1106

दिनांक: 8/3/2016

शासन सचिव,
माध्यमिक शिक्षा,
शासन सचिवालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय:- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की अठारहवीं बैठक दिनांक 29.02.16 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, की निष्पादक समिति की अठारहवीं बैठक दिनांक 29 फरवरी, 2016 का कार्यवाही विवरण संलग्न कर अवलोकनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(जस्सराम चौधरी)
अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज (राजस्थान) शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 22 गोदाम पुलिया के पास, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, महिला सशक्तिकरण, झालाना इंगरी, जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक (आई.ई.सी.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
10. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
11. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
12. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जयपुर।
13. निजी सहायक, निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
14. निजी सहायक, निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
15. निजी सहायक, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
16. निजी सहायक, सचिव राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
17. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
18. नियंत्रक वित्त रामाशिप., जयपुर।
19. अधीक्षण अभियंता रामाशिप., जयपुर।
20. उपायुक्त, प्रथम/द्वितीय, रामाशिप., जयपुर।
21. राज्य समन्वयक, रामाशिप., जयपुर।
22. उपनिदेशक/सहायक निदेशक समस्त रामाशिप., जयपुर को देकर लेख है कि अपनी शाखा से सम्बन्धित अनुपालना सुनिश्चित करें।
23. एम.आई.एस प्रभारी को देकर लेख है कि परिषद् की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
24. कार्यालय प्रति।

8/3/16

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की
18वीं बैठक का कार्यवृत्त-दिनांक 29.02.2016

शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में निष्पादक समिति की बैठक दिनांक 29.02.2016 को मंथन सभागार, शिक्षा संकुल जयपुर में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची अनु. 'अ' तथा 'ब' पर संलग्न हैं। बैठक में रामाशिप. द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के सक्षिप्त विवरण की प्रस्तुति पश्चात् एजेण्डा वार विचार-विमर्श किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय																																																																																																																																																																																																																																																					
1	प्रस्ताव संख्या-1 निष्पादक समिति की दिनांक:- 24.11.2015 को आयोजित सत्रहवीं बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्वति का अनुमोदन एवं अनुरोध:- दिनांक:-24.11.2015 को आयोजित निष्पादक समिति की सत्रहवीं बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का विवरण (परिशिष्ट-1) में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।																																																																																																																																																																																																																																																					
2	प्रस्ताव संख्या-2 एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2016-17 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट भारत सरकार को भिजवाने से पूर्व निष्पादक समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (Rs. in Lakh) <table><tr><th>S. N.</th><th>Name of Activity</th><th>Spill over</th><th colspan="3">Fresh</th><th>Total</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>Unit Cost</th><th>Physical</th><th>Financial</th><th></th></tr><tr><td colspan="7">Non - Recurring</td></tr><tr><td></td><td>New School</td><td>1821.58</td><td>74.97</td><td>344</td><td>25789.68</td><td>27611.26</td></tr><tr><td></td><td>Strengthening of Existing govt. Schools</td><td>9544.25</td><td></td><td>3320</td><td>171095.55</td><td>180639.80</td></tr><tr><td></td><td>Other Civil Works</td><td>0</td><td></td><td>407</td><td>1020.75</td><td>1020.75</td></tr><tr><td></td><td>Girls Hostel</td><td>1756.6</td><td></td><td>0</td><td></td><td>1756.60</td></tr><tr><td></td><td>ICT@School</td><td>31549.48</td><td>6.4</td><td>3000</td><td>19200.00</td><td>50749.48</td></tr><tr><td></td><td>Vocational Education</td><td>26.75</td><td></td><td>380</td><td>2793.51</td><td>2820.26</td></tr><tr><td></td><td>IEDSS</td><td>0</td><td>0.7</td><td>46</td><td>32.20</td><td>32.20</td></tr><tr><td></td><td>Total (Non - Recurring)</td><td>44698.66</td><td></td><td>7497</td><td>219931.69</td><td>264630.35</td></tr><tr><td colspan="7">Recurring</td></tr><tr><td>1</td><td>Staff for New School</td><td>0</td><td></td><td>3096</td><td>3748.65</td><td>3748.65</td></tr><tr><td>2</td><td>Staff for new school sanctioned in previous year 2009-2015</td><td>0</td><td></td><td>1026</td><td>3987.72</td><td>3987.72</td></tr><tr><td>3</td><td>Special Teachers</td><td></td><td></td><td>326</td><td>1333.01</td><td>1333.01</td></tr><tr><td>4</td><td>Additional staff for existing schools sanctioned till 2014-15</td><td>0</td><td>0.34075</td><td>8098</td><td>33112.72</td><td>33112.72</td></tr><tr><td>5</td><td>Teachers/RP for Vocational Education</td><td>0</td><td>7.25</td><td>670</td><td>4857.50</td><td>4857.50</td></tr><tr><td>6</td><td>Teacher Training (VE, Leader, Teacher, ICT, MT)</td><td>0</td><td>Teachers</td><td>29294</td><td>2054.47</td><td>2054.47</td></tr><tr><td>7</td><td>School Grant (Including ICT, VE)</td><td>0</td><td>Schools</td><td>19727</td><td>10332.50</td><td>10332.50</td></tr><tr><td>8</td><td>Minor Repair</td><td>0</td><td>0.25</td><td>13882</td><td>3470.50</td><td>3470.50</td></tr><tr><td>9</td><td>Recurring Grant to Girls Hostel(14,900 Girls)</td><td>0</td><td>Hostels</td><td>149</td><td>3821.13</td><td>3821.13</td></tr><tr><td>10</td><td>Student oreinted activities for CWSN</td><td>0</td><td>0.03</td><td>5311</td><td>159.33</td><td>159.33</td></tr><tr><td>11</td><td>Recurring Grant for Vocational Education (Student)</td><td>0</td><td>Students</td><td>59700</td><td>7313.00</td><td>7313.00</td></tr><tr><td>12</td><td>Community Mobilisation</td><td>0</td><td>0.006</td><td>10182</td><td>93.98</td><td>93.98</td></tr><tr><td>13</td><td>ICT@School Recurring(Phase II&III)</td><td>0</td><td>Schools</td><td>4525</td><td>9997.47</td><td>9997.47</td></tr><tr><td>14</td><td>Remedial Teaching & Edu. Tour</td><td>0</td><td>Students</td><td>150074</td><td>918.50</td><td>918.50</td></tr><tr><td>15</td><td>Self Defence Trainig & sports</td><td>0</td><td>Schools</td><td>2015</td><td>201.50</td><td>201.50</td></tr><tr><td>16</td><td>Kala Utsav</td><td>0</td><td></td><td>34</td><td>54.40</td><td>54.40</td></tr><tr><td>17</td><td>Project 1 for Equity</td><td></td><td></td><td></td><td>1807.00</td><td>1807.00</td></tr><tr><td>18</td><td>Project 2 Shala Krida Sangam</td><td></td><td></td><td></td><td>2800.00</td><td>2800.00</td></tr><tr><td>19</td><td>Project 3 Vigyan Aviaskaar</td><td></td><td></td><td></td><td>81.00</td><td>81.00</td></tr><tr><td></td><td>Total (Recurring)</td><td></td><td></td><td></td><td>90144.38</td><td>90144.38</td></tr><tr><td></td><td>Grand Total (Non - Recurring + Recurring)</td><td>44698.66</td><td></td><td></td><td>310076.07</td><td>354774.73</td></tr><tr><td></td><td>MMER</td><td></td><td></td><td></td><td>10852.66</td><td>10852.66</td></tr><tr><td></td><td>Grand Total (Non - Recurring + Recurring+MMER)</td><td>44698.66</td><td></td><td>7497</td><td>320928.73</td><td>365627.39</td></tr></table>	S. N.	Name of Activity	Spill over	Fresh			Total				Unit Cost	Physical	Financial		Non - Recurring								New School	1821.58	74.97	344	25789.68	27611.26		Strengthening of Existing govt. Schools	9544.25		3320	171095.55	180639.80		Other Civil Works	0		407	1020.75	1020.75		Girls Hostel	1756.6		0		1756.60		ICT@School	31549.48	6.4	3000	19200.00	50749.48		Vocational Education	26.75		380	2793.51	2820.26		IEDSS	0	0.7	46	32.20	32.20		Total (Non - Recurring)	44698.66		7497	219931.69	264630.35	Recurring							1	Staff for New School	0		3096	3748.65	3748.65	2	Staff for new school sanctioned in previous year 2009-2015	0		1026	3987.72	3987.72	3	Special Teachers			326	1333.01	1333.01	4	Additional staff for existing schools sanctioned till 2014-15	0	0.34075	8098	33112.72	33112.72	5	Teachers/RP for Vocational Education	0	7.25	670	4857.50	4857.50	6	Teacher Training (VE, Leader, Teacher, ICT, MT)	0	Teachers	29294	2054.47	2054.47	7	School Grant (Including ICT, VE)	0	Schools	19727	10332.50	10332.50	8	Minor Repair	0	0.25	13882	3470.50	3470.50	9	Recurring Grant to Girls Hostel(14,900 Girls)	0	Hostels	149	3821.13	3821.13	10	Student oreinted activities for CWSN	0	0.03	5311	159.33	159.33	11	Recurring Grant for Vocational Education (Student)	0	Students	59700	7313.00	7313.00	12	Community Mobilisation	0	0.006	10182	93.98	93.98	13	ICT@School Recurring(Phase II&III)	0	Schools	4525	9997.47	9997.47	14	Remedial Teaching & Edu. Tour	0	Students	150074	918.50	918.50	15	Self Defence Trainig & sports	0	Schools	2015	201.50	201.50	16	Kala Utsav	0		34	54.40	54.40	17	Project 1 for Equity				1807.00	1807.00	18	Project 2 Shala Krida Sangam				2800.00	2800.00	19	Project 3 Vigyan Aviaskaar				81.00	81.00		Total (Recurring)				90144.38	90144.38		Grand Total (Non - Recurring + Recurring)	44698.66			310076.07	354774.73		MMER				10852.66	10852.66		Grand Total (Non - Recurring + Recurring+MMER)	44698.66		7497	320928.73	365627.39	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया प्रस्ताव वर्ष 2016-17 की पी.ए.बी. में भारत सरकार को प्रेषित किया जावे।
S. N.	Name of Activity	Spill over	Fresh			Total																																																																																																																																																																																																																																																	
			Unit Cost	Physical	Financial																																																																																																																																																																																																																																																		
Non - Recurring																																																																																																																																																																																																																																																							
	New School	1821.58	74.97	344	25789.68	27611.26																																																																																																																																																																																																																																																	
	Strengthening of Existing govt. Schools	9544.25		3320	171095.55	180639.80																																																																																																																																																																																																																																																	
	Other Civil Works	0		407	1020.75	1020.75																																																																																																																																																																																																																																																	
	Girls Hostel	1756.6		0		1756.60																																																																																																																																																																																																																																																	
	ICT@School	31549.48	6.4	3000	19200.00	50749.48																																																																																																																																																																																																																																																	
	Vocational Education	26.75		380	2793.51	2820.26																																																																																																																																																																																																																																																	
	IEDSS	0	0.7	46	32.20	32.20																																																																																																																																																																																																																																																	
	Total (Non - Recurring)	44698.66		7497	219931.69	264630.35																																																																																																																																																																																																																																																	
Recurring																																																																																																																																																																																																																																																							
1	Staff for New School	0		3096	3748.65	3748.65																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Staff for new school sanctioned in previous year 2009-2015	0		1026	3987.72	3987.72																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Special Teachers			326	1333.01	1333.01																																																																																																																																																																																																																																																	
4	Additional staff for existing schools sanctioned till 2014-15	0	0.34075	8098	33112.72	33112.72																																																																																																																																																																																																																																																	
5	Teachers/RP for Vocational Education	0	7.25	670	4857.50	4857.50																																																																																																																																																																																																																																																	
6	Teacher Training (VE, Leader, Teacher, ICT, MT)	0	Teachers	29294	2054.47	2054.47																																																																																																																																																																																																																																																	
7	School Grant (Including ICT, VE)	0	Schools	19727	10332.50	10332.50																																																																																																																																																																																																																																																	
8	Minor Repair	0	0.25	13882	3470.50	3470.50																																																																																																																																																																																																																																																	
9	Recurring Grant to Girls Hostel(14,900 Girls)	0	Hostels	149	3821.13	3821.13																																																																																																																																																																																																																																																	
10	Student oreinted activities for CWSN	0	0.03	5311	159.33	159.33																																																																																																																																																																																																																																																	
11	Recurring Grant for Vocational Education (Student)	0	Students	59700	7313.00	7313.00																																																																																																																																																																																																																																																	
12	Community Mobilisation	0	0.006	10182	93.98	93.98																																																																																																																																																																																																																																																	
13	ICT@School Recurring(Phase II&III)	0	Schools	4525	9997.47	9997.47																																																																																																																																																																																																																																																	
14	Remedial Teaching & Edu. Tour	0	Students	150074	918.50	918.50																																																																																																																																																																																																																																																	
15	Self Defence Trainig & sports	0	Schools	2015	201.50	201.50																																																																																																																																																																																																																																																	
16	Kala Utsav	0		34	54.40	54.40																																																																																																																																																																																																																																																	
17	Project 1 for Equity				1807.00	1807.00																																																																																																																																																																																																																																																	
18	Project 2 Shala Krida Sangam				2800.00	2800.00																																																																																																																																																																																																																																																	
19	Project 3 Vigyan Aviaskaar				81.00	81.00																																																																																																																																																																																																																																																	
	Total (Recurring)				90144.38	90144.38																																																																																																																																																																																																																																																	
	Grand Total (Non - Recurring + Recurring)	44698.66			310076.07	354774.73																																																																																																																																																																																																																																																	
	MMER				10852.66	10852.66																																																																																																																																																																																																																																																	
	Grand Total (Non - Recurring + Recurring+MMER)	44698.66		7497	320928.73	365627.39																																																																																																																																																																																																																																																	

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
3	प्रस्ताव संख्या-3 मैसर्स जेठानी एण्ड एसोसिएट, सी.ए. फर्म के अनुबंध में अभिवृद्धि:- मै. जेठानी एण्ड एसोसिएट द्वारा वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 की Statutory Audit की गई हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक की ऑडिट रिपोर्ट को भी संशोधित किया जाने का कार्य किया गया है। उक्त फर्म द्वारा बैंक अंक मिलान का कार्य तथा जिला कार्यालयों में टेली सॉफ्टवेयर में लेखा संधारण अद्यतन करवाये जाने का कार्य किया गया है। मै. जेठानी एण्ड एसोसिएट को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु परिषद् एवं जिला कार्यालयों के सनदी अंकेक्षण हेतु दिनांक 12.06.2014 को अनुबंध किया गया था। उक्त अनुबंध की शर्त संख्या 8 के अनुसार संतोषप्रद सेवा होने पर पारस्परिक सहमति से अनुबंध की अवधि में अभिवृद्धि की जा सकती है। Manual for financial management and procurement for RMSA के अनुच्छेद 7.1.9 के अनुसार एक ही सी.ए. फर्म को तीन साल तक की अवधि तक सनदी अंकेक्षण का कार्य दिया जा सकता है। मै. जेठानी एण्ड एसोसिएट द्वारा सनदी अंकेक्षण से सम्बन्धित कार्य व समय-समय पर भारत सरकार से प्राप्त पत्रों के क्रम में अंकेक्षण रिपोर्ट में वांछित संशोधन कर रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध करवाई गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट के सम्बन्ध में चाहे गये स्पष्टीकरण हेतु फर्म के प्रतिनिधि द्वारा परिषद् के अधिकारियों के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार में जाकर चर्चा की गई व चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई गई। मै. जेठानी एण्ड एसोसिएट द्वारा किये गये कार्य एवं सहयोग को देखते हुए अनुबंध की शर्त संख्या 8 तथा MFMP के अनुच्छेद 7.1.9 के प्रावधानों के तहत अनुबंध अवधि में एक वर्ष की अभिवृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
4	प्रस्ताव संख्या-4 जिला कार्यालयों में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी प्रथम को टेलीफोन व्यय का पुनर्भरण:- जिला कार्यालयों में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी प्रथम को राशि रुपये 700/- प्रतिमाह टेलीफोन व्यय पुनर्भरण किया जाना प्रस्तावित है ताकि बालिका छात्रावास, मॉडल स्कूल व परिषद् कार्यालय स्तर से सम्पर्क सुविधा हो सके तथा व्ययों एवं लेखा निर्धारण की सुनिश्चितता की जा सके। इस सम्बन्ध में लेख है कि रामाशिप., की निष्पादक समिति की 11वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 12 के अनुसार सहायक निदेशक पद की न्यूनतम ग्रेड पे पाने वाले तथा समकक्षा अधिकारी को राशि रुपये 700/- प्रतिमाह टेलीफोन/मोबाईल बिल के पुनर्भरण का अनुमोदन किया गया (परिशिष्ट 'ब')। निष्पादक समिति की 14वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 8 के अनुसार जिला कार्यालयों में पदस्थापित कार्यक्रम अधिकारी को भी टेलीफोन व्यय का पुनर्भरण दिया जा रहा है (परिशिष्ट 'स')। सा. प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 04.10.2013 द्वारा भी शासन सचिवालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी को टेलीफोन व्यय का पुनर्भरण देय किया गया है (परिशिष्ट 'द')। सहायक लेखाधिकारियों को प्रति माह टेलीफोन व्यय का पुनर्भरण किये जाने पर राशि रुपये 277200/- (700X33X12) प्रति वर्ष अधिभार होगा। प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 04.10.2013 के अनुरूप सहायक लेखाधिकारी को 600 रुपये प्रतिमाह दिये जाने का अनुमोदन किया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
----------	----------	--------

5 प्रस्ताव संख्या-5

योजनावार खाता खुलवाने हेतु:-

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाएँ तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। भारत सरकार तथा राज्य सरकार से 60:40 के अनुपात में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बालिका छात्रावास, आई.ई.डी.एस.एस., आई.सी.टी., व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि योजनाएँ संचालित हैं। भारत सरकार द्वारा जारी Manual on financial management and procurement for RMSA के अनुच्छेद के क्लॉज 4.3. (परिशिष्ट 'य') के अनुसार राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों में योजनावार खाता संधारित किया जायेगा।

पूर्व में परिषद् में 11 बैंक खातें संचालित थे। एक ही योजना के एक से अधिक खातें होने के कारण Manual on financial management and procurement for RMSA के अनुच्छेद के क्लॉज 4.3.1 के तहत योजनावार खातें रखे जाकर शेष बन्द करवा दिए गए थे।

वर्तमान में परिषद् से निम्नांकित बैंक खाते संचालित हैं:-

S.N.	Name of component	Name of the Beneficiary A/C	Name of Bank	Beneficiary A/C No.	Name of Branch
1	RMSA	Rajasthan council of secondary Education society	SBBJ Bank	61078136415	Dr. R.K.S., JLN Marg
2	Model School	Rajasthan council of secondary education society	Bank of Maharashtra	60037717892	G.T. Malviya Nagar
3	Girls Hostel	Rajasthan council of secondary education society		14630100006199	Udhyog Bhawan, C-Scheme
4	IEDSS	Rajasthan council of secondary education society	IDBI	0013104000381062	C-Scheme, Jaipur
5	Vocational Education	Rajasthan council of secondary education society	Axis Bank	913010044841915	B 115 Shanti Tower Hawa sasrak civil lines
6	ICT	Rajasthan council of secondary education society	Indusind Bank	10036270252	0592 Malviya nagar, jaipur

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

वर्ष 2015-16 से राज्य सरकार तथा अन्य संसाधनों द्वारा वित्तपोषित निम्नांकित योजनाओं में परिषद् को राशि प्राप्त हो रही है। यह योजनाएँ निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	योजना का नाम	वित्त पोषण	वर्ष 2015-16 में प्राप्ति (राशि रुपये)
1	एस.आई.क्यू.ई.	सर्वशिक्षा अभियान तथा युनिसेफ	15100000/-
2	ट्रॉसपोर्ट वाउचर	राज्य सरकार	10000000/-
3	शौचालय निर्माण हेतु	1. एन.टी.पी.सी. 2. पी.एफ.सी.लि. 3. एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया 4. आर.ई.सी. 5. एन.एल.सी.	4725000/- 12763000/- 5859000/- 11907000/- 250000/-
4	पुस्तकालय कक्ष निर्माण कार्य हेतु	राज्य सरकार (एम.एस.डी.पी.)	192060000/-
5	रमसा अनावर्ती (राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के अपूर्ण कार्यों हेतु जारी राशि)	राज्य सरकार	1500000000/-

वर्तमान में उक्त योजनाओं की राशि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के खातों में जमा करवाई जाती रही है। परन्तु उक्त प्रकार से अन्य योजनाओं की राशि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के खातों में जमा किए जाने के कारण उक्त राशि को सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। अंकेक्षण रिपोर्ट में उक्त योजनाओं की राशि को दर्शाये जाने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा महालेखाकार अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति की जाती है तथा बैंकों से अंक मिलान में कठिनाई होती है।

अतः लेखा संधारण तथा वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से उक्त योजनाओं हेतु अलग बैंक खातें संधारित किए जाने प्रस्तावित हैं। Manual on financial management and procurement for RMSA के अनुच्छेद के क्लॉज 4.3.1 के तहत योजनावार खातें रखे जाकर शेष बन्द करवा दिए गए थे।

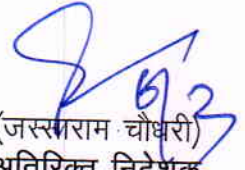
क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
6	प्रस्ताव संख्या-6 रामाशिप., कार्यालय में अधीक्षण अभियंता के उपयोग हेतु कोई वाहन स्वीकृत नहीं हैं। इस पद हेतु मासिक अनुबंध के आधार पर वाहन स्वीकृति प्रस्तावित हैं। प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को भिजवाया जावे।

7	प्रस्ताव संख्या-7 राज्य में वर्तमान में संचालित 71 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में प्रत्येक में कम्प्यूटर लैब प्रभारी का एक पद स्वीकृत है। वर्तमान में कम्प्यूटर लैब प्रभारी के पद पर माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापको को प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है। कम्प्यूटर लैब प्रभारी पद पर कम्प्यूटर में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम तीन माह का प्रमाण पत्र/डिप्लोमा को प्राथमिकता दी जाती है। दिनांक 06.01.2015 को स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल के शैक्षणिक कोर ग्रुप की बैठक कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 9 अनुसार अधिकांश विद्यालयों में प्रतिनियुक्त कम्प्यूटर लैब इंचार्ज कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर कोर्स पढ़ाने में अपेक्षित तकनीकी योग्यता नहीं रखते हैं। अतः उन संस्था प्रधानों पर प्लेसमेंट एजेंसी के जरिये तकनीकी योग्य कम्प्यूटर अनुदेशक लगवाए जावे। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में कम्प्यूटर शिक्षक के पद स्वीकृत नहीं है। अतः इन मॉडल विद्यालयों में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिये तकनीकी योग्य कम्प्यूटर अनुदेशक लगाया जाना उचित रहेगा। कम्प्यूटर लैब प्रभारी की अनुमोदित योग्यता निम्नानुसार है। (संलग्न-2) <table border="1"> <thead> <tr> <th>S.N</th><th>NAME OF POST</th><th>QUALIFICATION</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>COMPUTER LAB INCHARGE</td><td> Graduate or Higher degree in Computer science / Computer Engineering / Computer applications / Computer Science and Engineering or electronics or Electronics and communications or Information technology or Equivalent of a University established by law in India OR 3 years diploma in computer Science and Engineering / Computer applications / Information Technology or equivalent from a polytechnic Institution recognized by the government. OR Graduate from a University established by law in India with diploma in Computer science / Computer applications / Information Technology or PGDCA or equivalent of a University established by law in India or of an institution recognized by the Government. And Speed of 8000 key depression per hour on Computer in Hindi and English </td></tr> </tbody> </table> उक्त सेवाओं के भुगतान हेतु विद्यालय 15000 रुपये मासिक दिया जाना प्रस्तावित हैं। इससे प्रति विद्यालय लगभग 15 से 20 हजार मासिक की बचत होगी। अतः स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में कम्प्यूटर लैब प्रभारी को प्लेसमेंट एजेंसी में जरिये कार्य आधारित तकनीकी योग्य कम्प्यूटर अनुदेशक संविदा पर लगवाया जाना प्रस्तावित हैं। प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	S.N	NAME OF POST	QUALIFICATION	1	COMPUTER LAB INCHARGE	Graduate or Higher degree in Computer science / Computer Engineering / Computer applications / Computer Science and Engineering or electronics or Electronics and communications or Information technology or Equivalent of a University established by law in India OR 3 years diploma in computer Science and Engineering / Computer applications / Information Technology or equivalent from a polytechnic Institution recognized by the government. OR Graduate from a University established by law in India with diploma in Computer science / Computer applications / Information Technology or PGDCA or equivalent of a University established by law in India or of an institution recognized by the Government. And Speed of 8000 key depression per hour on Computer in Hindi and English	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को भिजवाया जावे।
S.N	NAME OF POST	QUALIFICATION						
1	COMPUTER LAB INCHARGE	Graduate or Higher degree in Computer science / Computer Engineering / Computer applications / Computer Science and Engineering or electronics or Electronics and communications or Information technology or Equivalent of a University established by law in India OR 3 years diploma in computer Science and Engineering / Computer applications / Information Technology or equivalent from a polytechnic Institution recognized by the government. OR Graduate from a University established by law in India with diploma in Computer science / Computer applications / Information Technology or PGDCA or equivalent of a University established by law in India or of an institution recognized by the Government. And Speed of 8000 key depression per hour on Computer in Hindi and English						

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय																				
8	प्रस्ताव संख्या-8 परिषद् राज्य कार्यालय में 01 एमआईएस सेवा की स्वीकृति एवं उनका भुगतान MMER मद से किये जाने का अनुमोदन हेतु:- परिषद् पत्रांक:-रामाशिप/जय/30033/2014-15/17081, दिनांक:- 09.11.2015 के तहत परिषद् के राज्य कार्यालय में (व्यावसायिक शिक्षा शाखा) सम्बन्धी कार्य के सम्पादनार्थ एवं कार्य की महत्ता के कारण सेवा प्रदाता एजेन्सी को एक एमआईएस हेतु आदेश प्रदान किये जाने के फलस्वरूप उक्त एमआईएस सेवा परिषद् में सेवा उपलब्ध है विवरण निम्नानुसार हैं। <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>नाम सेवा</th><th>पूर्व के अतिरिक्त वांछित सेवा संख्या</th><th>मासिक किराया</th><th>एक वर्ष में सम्भावित होने वाला व्यय</th></tr><tr><td>1</td><td>एमआईएस सेवा</td><td>01</td><td>15000/-</td><td>360000/-</td></tr></table> उक्त सेवा हेतु 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि में लिया जाना तथा मासिक शुल्क के अतिरिक्त सेवा प्रभार एवं सेवाकर, सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के सकल मूल्य पर पृथक से दिया जाना प्रस्तावित हैं। प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	क्र. सं.	नाम सेवा	पूर्व के अतिरिक्त वांछित सेवा संख्या	मासिक किराया	एक वर्ष में सम्भावित होने वाला व्यय	1	एमआईएस सेवा	01	15000/-	360000/-	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।										
क्र. सं.	नाम सेवा	पूर्व के अतिरिक्त वांछित सेवा संख्या	मासिक किराया	एक वर्ष में सम्भावित होने वाला व्यय																		
1	एमआईएस सेवा	01	15000/-	360000/-																		
9	प्रस्ताव संख्या-9 एमआईएस सेवाओं के मासिक शुल्क में वार्षिक 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि का अनुमोदन:- कृपया परिषद् पत्रांक:-रामाशिप/जय/35034/2014-15/9902, दिनांक:-31.12.2014 के तहत राज्य एवं जिला स्तर (रामाशिप.) में सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा किराये पर उपलब्ध करवाये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सेवा, सहायक/स्वीपर सेवाओं (जो कि एक वर्ष तक नियमित रूप से ली जाती हैं) के मासिक शुल्क में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि हेतु स्वीकृति जारी की गई। जिसके फलस्वरूप परिषद् पत्रांक रामाशिप/जय/फा-35119 (प्लेसमेन्ट एजेन्सी टेण्डर)/495, दिनांक 04.02.2016 द्वारा उक्त सेवाओं के मासिक शुल्क में 01 जनवरी 2016 से वार्षिक 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। चूंकि तात्कालिक निष्पादक समिति के अनुमोदन के पश्चात् परिषद् में एमआईएस सेवाएँ भी सेवा प्रदाता एजेन्सी से ही ली जाती हैं। किन्तु एमआईएस सेवाओं का वार्षिक अभिवृद्धि पूर्व में अनुमोदित नहीं होने के कारण मासिक शुल्क में 10 प्रतिशत की वार्षिक अभिवृद्धि नहीं की गई है। निष्पादक समिति की 18वीं बैठक दिनांक 29.02.2016 में सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा परिषद् में उपलब्ध निम्नांकित एमआईएस सेवाओं (06) की मासिक शुल्क में 10 प्रतिशत की वार्षिक अभिवृद्धि का अनुमोदन निम्नानुसार करवाया जाना प्रस्तावित है- <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>नाम सेवा</th><th>सेवा संख्या</th><th>वर्तमान में देय मासिक शुल्क</th><th>प्रस्तावित मासिक शुल्क</th></tr><tr><td>1</td><td>एमआईएस सेवा</td><td>06</td><td>15000/-</td><td>16500/-</td></tr></table> प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	क्र. सं.	नाम सेवा	सेवा संख्या	वर्तमान में देय मासिक शुल्क	प्रस्तावित मासिक शुल्क	1	एमआईएस सेवा	06	15000/-	16500/-	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।										
क्र. सं.	नाम सेवा	सेवा संख्या	वर्तमान में देय मासिक शुल्क	प्रस्तावित मासिक शुल्क																		
1	एमआईएस सेवा	06	15000/-	16500/-																		
10	प्रस्ताव संख्या-10 परिषद् राज्य कार्यालय में 03 कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा, 03 सहायक सेवा एवं 01 स्वीपर सेवाओं की स्वीकृति एवं उनका भुगतान MMER मद से किये जाने हेतु: परिषद् राज्य कार्यालय में निदेशक, रामाशिप द्वारा कार्यग्रहण कर लिए जाने, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक द्वारा प्रशासनिक भवन के कक्ष में पदासीन होने, शिक्षा संकुल के ब्लॉक संख्या-5 में कक्ष 504 के सामने वाले कक्ष में व्यावसायिक शिक्षा शाखा को कार्य सम्पादनार्थ आवंटित किये जाने, ब्लॉक संख्या-6 के कक्ष संख्या 202 में शाला दर्पण के कार्य हेतु आवंटित किये जाने एवं कक्ष संख्या-205 में योजना शाखा को स्थापित किये जाने के कारण निर्देशानुसार परिषद् में अतिरिक्त सेवाओं की आवश्यकता हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार हैं:- <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>नाम सेवा</th><th>पूर्व के अतिरिक्त वांछित सेवा संख्या</th><th>मासिक किराया (प्रति सेवा)</th><th>सम्भावित होने वाला वार्षिक व्यय (प्रति सेवा)</th></tr><tr><td>1</td><td>कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा</td><td>03</td><td>7500/-</td><td>180000/-</td></tr><tr><td>2</td><td>सहायक सेवा</td><td>03</td><td>5000/-</td><td>60000/-</td></tr><tr><td>3</td><td>स्वीपर सेवा</td><td>01</td><td>5000/-</td><td>60000/-</td></tr></table> उक्त प्रत्येक सेवा हेतु 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि में लिया जाना तथा उक्त मासिक शुल्क के अतिरिक्त सेवा प्रभार एवं सेवाकर, सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के सकल मूल्य पर पृथक से दिया जाना प्रस्तावित हैं।	क्र. सं.	नाम सेवा	पूर्व के अतिरिक्त वांछित सेवा संख्या	मासिक किराया (प्रति सेवा)	सम्भावित होने वाला वार्षिक व्यय (प्रति सेवा)	1	कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा	03	7500/-	180000/-	2	सहायक सेवा	03	5000/-	60000/-	3	स्वीपर सेवा	01	5000/-	60000/-	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु मशीन विद मैन के प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को प्रेषित किया जावे।
क्र. सं.	नाम सेवा	पूर्व के अतिरिक्त वांछित सेवा संख्या	मासिक किराया (प्रति सेवा)	सम्भावित होने वाला वार्षिक व्यय (प्रति सेवा)																		
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा	03	7500/-	180000/-																		
2	सहायक सेवा	03	5000/-	60000/-																		
3	स्वीपर सेवा	01	5000/-	60000/-																		

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
11	प्रस्ताव संख्या-11 भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत विद्यार्थियों के व्यावसायिक शिक्षा विषय के वार्षिक मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण हेतु प्रति विद्यार्थी 600/- का अनुमोदन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 11 जिलों के चयनित 70 विद्यालयों में योजना का क्रियान्वयन किया गया था इस हेतु प्रति विद्यार्थी 600/- के आधार पर सभी 11 जिलों को विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पत्रांक: RCSE/Jai/Acct/2013-14, दिनांक 30.03.2015, 2100000 रुपये जारी किये गये थे। जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिखित परीक्षा हेतु तथा एनएसडीसी को प्रायोगिक परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान किया जाना था। बोर्ड द्वारा पत्रांक: मा.शि. बोर्ड/एसीए/व्यावसायिक शिक्षा/2015/3737, दिनांक 13.08.2015 द्वारा सूचित किया गया था कि प्रश्न पत्र के निर्माण व मूल्यांकन कार्य में 600/- प्रति विद्यार्थी व्यय होगा। क्योंकि प्रथम बार तथा पृथक रूप से बोर्ड द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषयों की प्रश्न पत्र का निर्माण, परीक्षा आयोजन, मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण आदि का कार्य करवाया गया था। अतः NSDC द्वारा नियुक्त परीक्षकों को बोर्ड के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली राशि को (प्रति विद्यार्थी 500 की गणना से) व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न मदों की बचत राशि में से उपलब्ध करवाया जायेगा। प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
12	प्रस्ताव संख्या-12 वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत 580 वोकेशनल ट्रेनर 290 विद्यालयों में व्यावसायिक विषयों का प्रशिक्षण करा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा योजना के सम्बन्ध में जारी NSQF की गाइड लाइन के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा विषय का अध्ययन कराये जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण करवाया जाना है। इन व्यावसायिक ट्रेनर का प्रशिक्षण चार चरणों में बोध शिक्षा समिति परिसर, कूकस, जयपुर में करवाया जा रहा है। जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भोजन एवं आवास की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि एक साथ 150 वोकेशनल ट्रेनर का प्रशिक्षण हेतु स्थान व ठहराने की व्यवस्था कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। बोध शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित दरों का भुगतान एसआईक्यूई ट्रेनिंग में परिषद द्वारा किया जा रहा है। अतः बोध शिक्षा समिति के निदेशक द्वारा आवास एवं भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में जारी दरों का अनुमोदन निष्पादक समिति में करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
13	प्रस्ताव संख्या-13 विशिष्ट सहायक हेतु वाहन सुविधा- श्री के के शर्मा, विशिष्ट सहायक राज्यमंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ने माह दिसम्बर, 2014 से अप्रैल, 2015 तक वाहन का उपयोग किया जिसका कुल व्यय बिल लगभग 118877/- रुपये है। इस बाबत उपयोग किये गये वाहन अनुबंधित फर्म से नहीं लिये गये थे, ना ही पूर्व में कोई कार्यालय आदेश जारी हुआ था। अतः उक्त प्रकरण में - 1. माननीय शिक्षामंत्री के विशिष्ट सहायक द्वारा उपयोग में लिये गये वाहन के व्यय बिल की कार्योत्तर भुगतान स्वीकृति। 2. भविष्य में माननीय शिक्षा राज्यमंत्री के विशिष्ट सहायक द्वारा वाहन किराये पर लेने पर भुगतान की स्वीकृति। इस मद में वार्षिक व्यय रुपये 300000 प्रतिवर्ष संभावित है। प्रकरण स्वीकृति हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की गई है किन्तु वित्त विभाग द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति नहीं दी गई। प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष पुनः अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	पूर्व में भुगतान की जा चुकी राशि- 118877 रुपये के भुगतान एक बारगी (One Time) कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण पुनः वित्त विभाग को भिजवाया जावे।


 (जस्सराम चौधरी)
 अतिरिक्त निदेशक
 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
 जयपुर